24/4/24

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान हंसराज बनाम राज.सरकार वगैरा

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 102/2015

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दढ व .... डिकरी दी जाती है कि

अतः वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खाारिज किया जाता है।

बिज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ______________फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ____________ की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24/4/24 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 24/4/24
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक नदबई (भरतपुर) राज

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दालय		
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजांन			मीजान		

24/4/24
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

1. हंसराज पुत्र शंकर जाति जाटव निवासी बछामदी तह. नदबई (भरतपुर)
2. गंगाराम पुत्र शंकर जाति जाटव निवासी बछामदी तह. नदबई (भरतपुर)
3. महेशचन्द पुत्र शंकर जाति जाटव निवासी बछामदी तह. नदबई (भरतपुर)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई (भरतपुर)

प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.
24/4/24

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 102/2015
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 25.05.2024

1. हंसराज पुत्र शंकर जाति जाटव निवासी बछामदी तह. नदबई (भरतपुर)
2. गंगाराम पुत्र शंकर जाति जाटव निवासी बछामदी तह. नदबई (भरतपुर)
3. महेशचन्द पुत्र शंकर जाति जाटव निवासी बछामदी तह. नदबई (भरतपुर)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई (भरतपुर)

प्रतिवादी

उपस्थित श्री श्यामसिंह एड0(वादीगण)

निर्णय

दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि मुकदमाफरीकेन में वादी एवं एवं प्रतिवादीगण में से ऐसा कोई सख्श नहीं है जो दावा लडने के योग्य न हो यानि दोनों पक्षकारान मुकदमा लडने में सक्षम है।
2. यह कि आराजी खसरा न. 2848 रकवा 0.24 है. वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई में स्थित है, जो कि साबिक खसरा न. संबत 2060 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 1881 रकवा 19 बिस्वा से बना है, तथा वादीगण के पिता को दिनांक 22.06.1973 को अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा

25/5/24

कृषि भूमि हेतु उपरोक्त बिवादित नंबर अलॉट हुआ था जिसमें वादी के पिता शंकर पुत्र कारे जाति जाटव निवासी बछामदी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था, लेकिन अभी तक उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हो सका है। अब वादीगण मृतक पिता के वारिसान होने के नाते वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।

3. यह कि दिनांक 10.04.2004 को वादीगण के पिता शंकर पुत्र कारे की मृत्यु हो चुकी है। पिता के जीवनकाल से ही वादीगण वाहिस्सा बराबर विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आज भी मौके पर वादीगण का कब्जा है, जिसमें वादीगण ने लाहे की फसल बो रखी है।

4. यह कि दिनांक 28.11.2014 को हल्का पटवारी ने वादीगण को धमकी दी कि तुम्हारे द्वारा बोये हुये रकवे की किस्म सिवायचक है इसलिये तुम्हें बेदखल करने की कार्यवाही की जावेगी। अगर प्रतिवादी सं0. 1 के कर्मचारी द्वारा दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम अपूरणीय क्षति होगी । अतः वादीगण विवादित आराजी की खातेदारी वादीगण वाहिस्सा बराबर अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी है। अतः विवादित आराजी हाल खसरा न. 2848 रकवा 0.24 है. पर अलॉटमेन्ट दिनांक 22.06.1973 के आधार पर मृतक शंकर पुत्र कारे के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण सं. 1 लगायत 3 को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

24/4/24

5. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई उपस्थित हुये तथा उपस्थित होकर पत्रावली पर अपना जबाब वादपत्र लिखा गया। जिसमें वर्णित किया कि मिसल संबत 2060 के अनुसार गत खसरा न. 1881 से नया खसरा न. 2848 बना है, जो खाता सं. 1823 सिवायचक बिनालगानी खाते में 0.24 है. गै.मु. आबादी दर्ज है, साथ ही पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संबत 2069–2072 की खाता सं. 1 में खसरा न. 2848 रकवा 0.24 है. गै.मु. आबादी दर्ज रिकॉर्ड है। काश्त संबधी खसरा गिरदावरी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में भूमि गै.मु. आबादी दर्ज रिकॉर्ड है। अतः दावा काबिल खारिजी के है।

6. यह कि वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जबाब दावा के विवेचन के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :–

1. आया विवादित आराजी खसरा न. 2848 रकवा 0.24 है. पर अलॉटमेन्ट दिनांक 22.06.1973 के आधार पर मृतक शंकर पुत्र कारे के स्थान पर उनके वारिसान वादीगण सं. 1 लगायत 3 की वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।– जिम्मेवादी

2. आया विवादित आराजी खसरा न. 2848 रकवा 0.24 है. गैरमुमकिन आबादी दर्ज रिकॉर्ड है, एवं काश्त संबंधी खसरा गिरदावरी पत्रावली पर मौजूद नहीं लिहाजा वादपत्र काबिल खारिजी के है। – जिम्मेप्रतिवादी

24/5/24

7. यह कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल आवंटन दिनांक 22.06.1973 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई प्रदर्श –2, नकल हाल जमाबंदी संबत 2069–2072 वाके ग्राम बछामदी प्रदर्श –1, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र शंकर पुत्र कारे प्रदर्श–3 पेश किये गये, एवं साक्ष्य के रूप में गंगाराम पुत्र शंकर जाति जाटव निवासी बछामदी का शपथपत्र पेश किया गया।

8. यह कि प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार निम्नानुसार है :–

1. आया विवादित आराजी खसरा न. 2848 रकवा 0.24 है. पर अलॉटमेन्ट दिनांक 22.06.1973 के आधार पर मृतक शंकर पुत्र कारे के स्थान पर उनके वारिसान वादीगण सं. 1 लगायत 3 की वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था वादीगण द्वारा प्रस्तुत हाल नकल जमाबंदी संबत 2069–2072 पेश की गई, जिस पर खसरा न. 2848 रकवा 0.24 है. पर गैरमुमकिन आबादी दर्ज रिकॉर्ड है, एवं नकल आवंटन दिनांक 22.06.1973 पेश की गई जिसमें आवंटन कमेटी द्वारा शंकर पुत्र कारे को खसरा न. 1880 में से भूमिहीनों को भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंषा की गई। वादी द्वारा खसरा न. 2848 पर मुताबिक अलॉटमेन्ट मृतक शंकर के स्थान पर उनके वारिसान

24/5/24

वादीगण के हक में खातेदारी घोषणा चाही गई है। वादीगण द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य अलॉटमेन्ट आदेश पेश नहीं किये गये, जिससे साबित होता हो कि उक्त विवादित भूमि वादीगण के पिता को अलॉटमेन्ट की गई हो एवं वादीगण द्वारा जो अलॉटमेन्ट आदेशिका ऑर्डरशीट पेश की गई है, जिसमें वादीगण के पिता के नाम अलॉट किये जाने की कार्यवाही पेश की है, परन्तु वादीगण द्वारा अलॉटमेन्ट संबंधी कोई भी आदेश दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है, जिससे साबित होता हो कि वादीगण के पिता को उक्त विवादित भूमि अलॉट हुई हो। इसके अलावा वादीगण द्वारा कब्जेकाश्त संबंधी किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि उक्त विवादित भूमि पर वादीगण के वारिसान का कब्जाकाश्त है। अतः उक्त तनकी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया विवादित आराजी खसरा न. 2848 रकवा 0.24 है. गैरमुमकिन आबादी दर्ज रिकॉर्ड है, एवं काश्त संबंधी खसरा गिरदावरी पत्रावली पर मौजूद नहीं लिहाजा वादपत्र काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संबत 2069–72 से साबित है कि विवादित आराजी खसरा न. 2848 रकवा 0.24 है. गै. मु. आबादी दर्ज रिकॉर्ड है, इसलिये आबादी की आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई आदेश देने या खातेदारी अधिकारी प्रदान करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है, न कि राजस्व न्यायालय को है। इसके अलावा

24/5/24

विवादित आराजीयात पर वादीगण द्वारा कब्जेकाश्त के संबध में खसरा गिरदावरी या अन्य काश्त संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में एवं वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि उपरोक्त विवादित आराजीयात खसरा न. 2848 रकवा 0.24 है. जो कि गैरमुमकिन आबादी का रकवा है एवं वादीगण द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वादीगण का वादपत्र काबिल खारिजी के है। अतः वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खाारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.04.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

24/4/24

(गंगाधर मीना, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर) राज.